न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 29/2014

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण आयु 35 वर्ष जाति–भील निवासी म0नं0 292 अजय आहुजा नगर–1 कोटा जिला–कोटा (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1–जुगराज पुत्र प्रहलाद आयु 48 वर्ष जाति–मीणा निवासी–ग्राम बामला तहसील व जिला–बारां
2–बंशीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ आयु 38 वर्ष जाति–मीणा निवासी ग्राम थामली
3–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1443 दिनांक 19.09.2014 वाके ग्राम बामला तह. बारां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक **(रेस्पों. कम 1 व 2)**

निर्णय दिनांक– 27.03.2019

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1443 दिनांक 19.09.2014 वाके ग्राम बामला तह0 बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके ग्राम बामला के हाल खाता संख्या 369 के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.35 है0 व ख0नं0 519 रकबा 0.11 है0 कुल रकबा 0.46 है0 आराजी के 1/2 हिस्से पर रेस्पों0 कम 1 व 2 के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 19.09.2014 अपीलांट के खातेदारी अधिकारो के विरूद्व अवैध, मनमाना होने से निरस्तनीय है। वाके माल बामला तहसील–बारां के हाल खाता संख्या 369 खसरा नं0 518 रकबा 0.35 है0 व खसरा नं0 519 रकबा 0.11 है0 कुल रकबा 0.46 है0 आराजी के 1/2 हिस्से के सहखातेदार बृजमोहन पुत्र लटूर जाति–मीणा निवासी बामला से अपीलांट ने उक्त आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.3.2010 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तबसे अपीलांट उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर बहैसियत खातेदार स्वामी काबिज काश्त है। विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट ने नामान्तकरण खुलवाने हेतु तत्कालीन हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की एक प्रति दी। इसपर हल्का पटवारी ने अपीलांट से कहा कि पंजीयन कार्यालय से विक्रय पत्र की सूचना आते ही

सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बारां (राज0)
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण खोल दिया जायेगा। विक्रेता बृजमोहन ने अपीलांट को बेचान की गई आराजियात् को श्रीमती मंजूदेवी पत्नी परसराम आयु 40 वर्ष जाति–मीणा निवासी छत्रपुरा कॉलोनी, कोटा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2014 को पुनः फर्जी तरीके से बेचान कर दिया। इस फर्जी एवं मिथ्या विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2014 के आधार पर क्रेता श्रीमती मंजूदेवी ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने हेतु आवेदन किया जिसका आवेदन जॉच पडताल करने पर हल्का पटवारी द्वारा गलत पाये जाने पर नामान्तकरण तस्दीक नहीं कर, आवेदन निरस्त कर दिया क्योकि क्रेता मंजूदेवी मीणा न होकर धाकड है। इस फर्जी विक्रय पत्र की क्रेता श्रीमती मंजू, गवाहन रामकल्याण पुत्र नाथूलाल मीना एवं प्रकाशचन्द पुत्र नारायण धाकड निवासी बामला ने बृजमोहन के साथ मिलकर आपसी षंडयत्र रचकर छलकपट एवं बेईमानी के आशय से अपीलांट को बेचान की गई आराजियात् का विक्रयपत्र दिनांक 3.7.2014 को रेस्पोडेंट क्रम–1 व 2 के नाम से पंजीयन करवाकर फर्जीवाडा किया है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी ने रेस्पोडेंट से मिलीभगत कर अपीलांट के विक्रयपत्र की जानकारी के बावजूद फर्जी एवं कूटरचित विक्रयपत्र दिनांक 3.7.2014 के आधार पर रेस्पोडेंट क्रम–1 व 2 के नाम उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। अपीलांट हल्का पटवारी से बार–बार निवेदन करता रहा है। राजस्व अधिकारियों को इस बात की जानकारी होते हुये कि विक्रेता बृजमोहन द्वारा उक्त आराजी अपीलांट को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान की जा चुकी है इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पो0 की मिलीभगत से फर्जी रजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर इन्तकाल नं0 1443 दिनांक 19.9.14 रेस्पोडेंट्स के नाम अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया है, उक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

2– इस फर्जी विक्रयपत्र दिनांक 3.7.2014 की जानकारी पुलिस थाना सदर, बारां में रेस्पों0 द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में मदाखलत करने पर दर्ज रिपोर्ट पर अपीलांट को बुलाने पर हुई। विक्रय पत्र जानकारी पश्चात् विक्रयपत्र की प्रति प्राप्ति का दिनांक 17.10.2014 को आवेदन करने पर, दिनांक 3.11.2014 को विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर, बाद जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 19.09.2014 ग्राम बामला तहसील–बारां निरस्त किया जाकर, खाता सख्या 369 खसरा नम्बर 518 रकबा 0.35 है0 व खसरा नम्बर 519 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 रकबा 0.46 है0 आराजी की 1/2 हिस्से पर विक्रय पत्र दिनांक 22.3.2010 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन गया तथा अभिलेख तलब किया गया। नामान्तकरण की छायाप्रति प्राप्त इस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों हुये निवेदन किया कि अपीलांट ने खातेदार बृजमोहन पुत्र लटूर मीणा मला के सहखातेदारी में ग्राम बामला के खाता संख्या 369 के खसरा नम्बर रकबा 0.35 है0 व ख0नं0 519 रकबा 0.11 है0 कुल रकबा 0.46 है0 हिस्सा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/2 को दिनांक 22.3.2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गयी थी। इसका नामान्तकरण आज दिनांक तक तहसीलदार, बारां ने नहीं खोला गया है। अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रयविलेख के अमल करने हेतु तहसीलदार एवं हल्का पटवारी से कई बार प्रार्थनापत्र व मौखिक निवेदन किया गया किन्तु इसपर कोई अमल नहीं किया गया। इसका विक्रेता सहखातेदार बृजमोहन से फायदा उठाते हुये उक्त आराजी को श्रीमती मंजूदेवी को पुनः दिनांक 27.1.2014 को बेचान कर दिया। जिसका अमल हल्का पटवारी ने इस आधार पर नहीं किया क्योकि बेचानकर्ता मीणा जाति एवं क्रेता धाकड होने से उक्त विक्रयविलेख का अमल नहीं किया जा सका। इसी बीच द्वितीय क्रेता श्रीमती मंजूदेवी एवं प्रथम विक्रेता बृजमोहन ने विक्रय विलेख के गवाहान की मिलीभगत से उक्त आराजी को पुनः तृतीय पक्ष रेस्पोंडेट क्रम 1 व 2 के पक्ष में बेचान दिनांक 03.07.2014 को किया गया जिसकी पूर्ण जानकारी रेस्पों0 की थी कि उक्त आराजी पूर्व में अपीलांट द्वारा क्रय की गयी है। इसके बावजूद उक्त आराजी का अवैध बेचान एवं अमल किया गया है जो पूर्णतया विधिसम्मत नहीं होने कानून विरूद्व है।

5— इस प्रकार अपीलांट द्वारा बार—बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां एवं हल्का पटवारी, कानूनगो को यह जानकारी होने कि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट को पूर्व की जर्ये रजिस्टड विक्रयविलेख से क्रयशुदा है, इसके बावजूद भी अपीलांट के पक्ष में उक्त आराजीयात् का नामान्तकरण तस्दीक नहीं कर, गैर कानूनी एवं मिलीभगत से रेस्पों0 क्रम 1 व 2 के पक्ष में वर्णित आराजी का इन्तकाल संख्या 1443 दिनांक 19.9.2014 वाके ग्राम बामला तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तस्दीकी नामान्तकरण प्रारम्भतः हीं शून्य है क्योकि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट ने पहले क्रय की गयी थी इसलिये अपीलांट का उक्त आराजी बाबत प्रथम हक व अधिकार है। इसलिये नामान्तकरण भी पहले उसके हक में हीं तस्दीक किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक नहीं कर, रेस्पों0 के पक्ष में इन्तकाल तस्दीकी करने में घोर लापरवाहीं एवं अपीलांट के साथ अन्याय किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं. 1443 दिनांक 19.9.2014 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट के पक्ष मे वर्णित आराजी का विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाकर, उसका नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे।

[illegible] सके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 ने अपीलांट अभिभाषक के [illegible] ण्डन करते हुये व्यक्त किया कि रेस्पोडेंट ने उक्त आराजी जिसे अ[illegible] द्वारा भी क्रय करना बता रहे है। रेस्पों0 ने उक्त आराजी सहखातेदार श्री [illegible] पुत्र लटूर मीणा नि. बामला से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की गयी है। [illegible] रेस्पों0 ने उक्त आराजी क्रय की है, उस वक्त उक्त आराजी विक्रेता [illegible] हखातेदारी में दर्ज थी। रेस्पों0 ने विक्रेता के हक व हिस्से की आराजी का [illegible] किया है। जिसके आधार पर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है। [illegible] तहसीलदार, बारां द्वारा इन्तकाल सहीं एवं विक्रय विलेख के आधार पर खोला गया [illegible] जिसे किसी भी सूरत में निरस्त किया जाना अवैधानिक एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधि विरूद्व है। अपीलांट उक्त आराजी को पूर्व में दिनांक 22.3.2010 को कय करना बताते है तो तत्समय उनके द्वारा उक्त नामान्तकरण क्यो हीं खुलवाया गया। चूकि उक्त आराजी बाबत नामान्तकरण रेस्पों0 के पक्ष में खोला जाकर, उसे अधिकार व हक दिये जा चुके है। अब अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील निराधार तथ्यों पर पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों कम—1 व 2 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि वाके ग्राम बामला में बृजमोहन पुत्र लटूर मीणा नि. बामला के सहखातेदारी में किता कुल रकबा 3.40 है0 अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा बृजमोहन के दर्ज है। सहखातेदार बृजमोहन द्वारा अपने हिस्से की आराजी में से ख0नं0 518 रकबा 0.35 है0, 519 रकबा 0.11 है0 कुल 0.46 हे0 का 1/2 हिस्से को जर्ये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 22.3.2010 से अपीलांट को बेचान किया गया है जिसका अमल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा नहीं किया गया है, इसी आधार पर हस्तगत अपील पेश की गयी है। सहखातेदार बृजमोहन ने उक्त विकयविलेख का अमल नहीं किये जाने का फायदा उठाते हुये उक्त आराजी का पुनः श्रीमती मंजूदेवी पत्नी परसराम धाकड के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 27.1.2014 को बेचान किया गया। किन्तु केता धाकड(अन्य पिछडा वर्ग) की होने से रजिस्टर्ड विकय विलेख के अमल राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया है। तदुपरान्त विकेता बृजमोहन द्वारा हीं उक्त आराजी का पुनः तृतीय पक्ष रेस्पों0 कम 1 व 2 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 03.07.2014 को बेचान करने पर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा रेस्पों. के पक्ष में इन्तकाल संख्या 1443 दिनांक 19.09.2014 को दर्ज किया गया है।

8— इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट आया है कि विवादित आराजी के सहखातेदार श्री बृजमोहन पुत्र लटूर मीणा नि. बामला द्वारा उक्त आराजी को तीन बार अलग—अलग विकेता को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान की गयी है, जो पूर्णतया विधि विरूद्व एवं निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 19.09.2014 वाके ग्राम बामला निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रचलित विभिन्न कानून के सम्प्रेषण में जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजी बाबत कोई सिविल न्यायालय में वाद दायर तो नहीं कर रखा। विधि प्रकिया पूर्ण कर, दोनो पक्षों की सुनवाई कर, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित कर, इन्तकाल दर्ज किया जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्या[illegible] सुनवाई हेतु दिनांक 22.05.2019 को उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास [illegible]या जाकर सुनाया गया।

([illegible]व)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official